उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3

संख्या-37/2018/1659/60-3-2018-104(सा)/17

लखनऊ : दिनांक : 12 सितम्बर, 2018

शुद्धि ज्ञाप

शासनादेश संख्या-1612/60-3-2018-104(सा)/17, दिनांक 07.09.2018 द्वारा वृन्दावन-मथुरा के सदनों की निराश्रित आर्थिक उन्नयन हेतु पुष्प अवशिष्ट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल सम्मान कोष से रू0-10,66,500/- की धनराशि स्वीकृत कर निगम के माध्यम से एफ0एफ0डी0सी0, कन्नौज को अवमुक्त किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- प्रश्नगत निर्गत शासनादेश दिनांक 14.03.2018 के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि को एफ0एफ0डी0सी0, कन्नौज को अवमुक्त नहीं किया जाना है बल्कि प्रश्नगत धनराशि रू0-10,66,500/- उ0प्र0 महिला कल्याण निगम के माध्यम से बृजगंधा प्रसार समिति, मथुरा को उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्तानुसार पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 07.09.2018 को संशोधित समझा जायेगा।

अजय कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-1659 (1)/60-03-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।

3- विहित प्राधिकारी, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, लखनऊ।

4- निदेशक, सुगन्ध एवं सरस विकास केन्द्र (एफ0एफ0डी0सी0), कन्नौज।

5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/मथुरा।

6- जिलाधिकारी, मथुरा।

7- वरिष्ठ वित्त सलाहकार, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, लखनऊ।

8- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

9- मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

10- जिला प्रोबेशन अधिकारी/सचिव, ब्रजगंधा प्रसार समिति, मथुरा।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in